

2024/225

फर्द अहकाम
(नियम 15)

जारी
9-10-2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
दलीप आदि बनाम चिमनाराम आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,53 188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 233 वर्ष 2024

20-11-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31.05.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 03.07.2024 को पेश हो।	
03.7.2024	<p>1 कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 2024 में पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली दिनांक 03.07.2024 को पेश हो</p>	
07.7.2024	<p>1 कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 2024 में पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली दिनांक 07.07.2024 को पेश हो</p>	
11.7.2024	<p>1 कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 2024 में पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली दिनांक 11.07.2024 को पेश हो</p>	
12.07.2024	<p>1 कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 2024 में पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो</p>	
25.9.2024	<p>1 कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 2024 में पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली दिनांक 25.09.2024 को पेश हो</p>	
9.10.2024	<p>वकील वकील साकिर हुमार ने पार्पना पत्रावली पेश करने पर</p>	<p>3 मर पत्रावली में आरोपी काफिले लगे भागे</p>

3 मर पत्रावली में आरोपी काफिले लगे भागे

R.T. मीरा
जज

पुत्रावली को पेन्सि में लिपा जाफ) बकील वही ने
 लिखे दन छि वह वाद-पत्र आगे नही चलाना
 चाहे छै। मौजूदा रिषति में खारीज करवाना
 चाहे छै। कल वाद फा मौजूदा रिषति में खारीज
 लिपा जात छै। पुत्रावली नखर से कल की
 जाकर बाउ तरीक तक्कील जाह्य दालिल
 दफतर हो।

०११

सहायक कलेक्टर एड
 सपरण्ड अधिकारी
 गजपुर